छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर– 492002

क्रमांक / **1214** / एफ–02 / 04 / कृ.उ.यो. / 2023–24 / 14–2 रायपुर,दिनांक **08/3/2024**

प्रति,

1. **संचालक कृषि, छ.ग रायपुर।**
2. **संचालक खाद्य, छ.ग. रायपुर।**
3. **पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर।**
4. **प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन मर्या (मार्कफेड), रायपुर।**
5. **प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.रायपुर।**
6. **प्रबंध संचालक,छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स), रायपुर।**
7. **समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।**
8. **समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।**
9. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.**

विषय :– ''कृषक उन्नति योजना'' के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश बाबत्।

––00––

छ.ग. राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत राहत देने के लिये ''कृषक उन्नति योजना'' प्रांरभ करने का निर्णय लिया गया है।

1. **योजना का नामः–** कृषक उन्नति योजना
2. **क्रियान्वयन वर्ष :–** योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2023–24 से किया जाएगा।
3. **योजना का क्षेत्रः–** छ.ग. राज्य के संपूर्ण जिले।
4. **योजना का उद्देश्यः–**

4.1 फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

4.2 फसल के कास्त लागत में कमी लाकर कृषको के आय में वृद्धि तथा उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार।

4.3 कृषको को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मानव श्रम, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में निवेश को प्रोत्साहन।

4.4 कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुर्नस्थापित करना।

5. **<u>हितग्राही की पात्रता</u>ः–**

5.1 प्रदेश के समस्त भू–स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक, जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समितियों एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के माध्यम से धान/धान बीज उपार्जित किया गया हो।

5.2 कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने हेतु कृषको को धान विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।

5.3 विधिक व्यक्तियों यथा ट्रस्ट/मण्डल/प्राईवेट लिमि. कंपनी/शाला विकास समिति/केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान/महाविद्यालय आदि संस्थाओं तथा रेगहा/बटाईदार/लीज एवं डुबान क्षेत्र के कृषको को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।

5.4 छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन कार्यक्रम (आधार एवं प्रमाणित) लेने वाले कृषको को भी योजना से लाभ लेने की पात्रता होगी।

5.5 जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते है और सामान्य धान भी सहकारी समितियों मे विक्रय करते है, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये, इसे छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा।

5.6 कृषको को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के प्रावधानो के अध्याधीन किया जाएगा।

6. <u>कृषको को भुगतान</u> :–

6.1 राज्य शासन द्वारा खरीफ मौसम में कृषको से खाद्य विभाग द्वारा प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा अनुसार धान उपार्जन किया जाएगा।

6.2 खरीफ 2023 में प्रदेश के किसानो से उपार्जित धान की मात्रा पर रुपये 19,257/- प्रति एकड की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

6.3 आदान सहायता राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

$$\text{भुगतान योग्य आदान सहायता राशि} = \frac{\text{उपार्जित धान की मात्रा (क्विं.)}}{\text{प्रति एकड़ उपार्जन की निर्धारित मात्रा (21 क्विं)}} \times 19257/-$$

उदाहरणस्वरुप यदि किसी भू–स्वामी/वन पट्टाधारी कृषक से खरीफ 2023–24 में कुल 200 क्विं. धान उपार्जन किया गया हो, तो कृषक को देय आदान सहायता निम्नानुसार होगी :–

$$\text{भुगतान योग्य आदान सहायता राशि} = \frac{200}{21} \times 19257/-$$

$$= 1,83,400/-$$

6.4 किसी कृषक को अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबधित कृषक से राशि वसूल की जाएगी।

6.5 आगामी खरीफ मौसम में आदान सहायता राशि के भुगतान पर यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

7. <u>योजना का क्रियान्वयनः</u>–

7.1 खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ मौसम 2023–24 में उपार्जित की गई धान की मात्रा पर कृषकों को पात्रतानुसार आदान सहायता राशि वितरण की जाएगी।

7.2 खाद्य विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) के माध्यम से किया जाएगा।

7.3 प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) द्वारा कृषकों से उपार्जित धान की मात्रा पर आदान सहायता राशि की मांग संचालक कृषि को प्रेषित की जाएगी। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) को उपलब्ध कराई जाएगी।

7.4 प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषकों को राज्य शासन द्वारा घोषित आदान सहायता राशि प्राप्त हो सके। कृषको को पात्रतानुसार आदान सहायता राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातो में किया जाएगा।

7.5 प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर संचालक कृषि को प्रेषित किया जाए।

7.6 छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित धान बीज की मात्रा पर आदान सहायता राशि की मांग संचालक कृषि को प्रेषित की जाएगी। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का अंतरण बीज निगम द्वारा 15 दिवस के भीतर कृषको के बैंक खाते में किया जाकर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जाएगा।

7.7 कृषको से विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जित धान पर प्रदायित आदान सहायता राशि के व्यय से संबंधित विस्तृत लेखा–जोखा के संधारण का दायित्व प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.(मार्कफेड) का होगा।

7.8 बीज उत्पादक कृषको से उपार्जित धान बीज पर प्रदायित आदान सहायता राशि के विस्तृत लेखा–जोखा का संधारण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. एवं संचालक कृषि द्वारा किया जाएगा।

8. **निरीक्षण एवं अनुश्रवण** :– कृषकों को पात्रता अनुसार आदान सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने की जवाबदारी खाद्य विभाग, मार्कफेड तथा जिला कलेक्टर की होगी। उनके द्वारा नियमित रुप से योजना क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

9. **वित्तीय आलिप्ति एवं व्यय का लेखा शीर्षः**– योजना अंतर्गत होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा–

(i) मांग संख्या 13, 2401–कृषि कार्य, 102–खाद्यान्नों की फसलें, 0101–राज्य आयोजना (सामान्य) (7054)–कृषक उन्नति योजना # 14– सहायक अनुदान, 012–अन्य अनुदान

(ii) मांग संख्या 41, 2401–कृषि कार्य, 102–खाद्यान्नों की फसलें, 0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना (7054)–कृषक उन्नति योजना # 14– सहायक अनुदान, 012–अन्य अनुदान

(iii) मांग संख्या 64, 2401–कृषि कार्य, 102–खाद्यान्नों की फसलें, 0103– अनुसूचित जाति उपयोजना (7054)–कृषक उन्नति योजना # 14– सहायक अनुदान, 012–अन्य अनुदान

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमित कुमार सिंह) 08.March.24
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्रमांक / **1215** / एफ–02 / 04 / कृ.उ.यो. / 2023–24 / 14–2 रायपुर,दिनांक **08/3/2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्रीजी के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन,
2. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, छ.ग. शासन।
3. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, सहकारिता विभाग, छ.ग. शासन।
4. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छ.ग. शासन।
5. मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग.शासन,
6. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन,
7. स्टॉफ आफिसर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
8. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
9. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग।
10. निज सहायक, विशेष सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
11. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

08.March.24

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग